न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 125/2025 बउनवानी चैनसुख बनाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर निवासी बाढरामसर पोस्ट हीरापुर तहसील तलावडा

GCMS No-2025/ 263 **Appeal Number- 321316504760554**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर ***" ग्राम बाडरामसर के ख0न0 272 की भूमि एवं सूचनाओ को लेकर कुल 12 बिन्दुओ की प्रमाणित सूचना"*** अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.13(03)()सूकाअ/2025/1088 दिनांक 10.9.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि चाही सूचना मे से बिन्दु संख्याअ 4 की सूचना ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से पत्रांक 1655082738 दिनांक 8.8.2025 से भिजवायी जा चुकी है। शेष बिन्दु संख्या 1,2,3 एवं 5 लगायत 12 मे चाही गयी सूचना व्याख्यात्मक/प्रश्नात्मक होने के कारण राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र दिनांक 2.2.2009 के तहत दिया जाना सम्भव नही है। इसके अतिरिक्त चाही गयी सूचनाऐं एक से अधिक विभागों से संबंधित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को अधिनियम की धारा 6(3) मे तहत अन्तरित नही किया जा सका। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 30.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 8.8.2025 को अपीलान्ट को ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से ही उपलब्ध करवायी जा चुकी है। शेष बिन्दुओ की सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने/प्रश्नात्मक होने से दिया जाना आवश्यक नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर